**फर्द अहकाम**

## अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

**गजेन्द्र बनाम राज0 सरकार**

किस्म मुकदमा–136 एल.आर.ए. मु0नं0– 10/2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 17.06.2025 | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर.ए. इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि खाता संख्या 604, 602, 605, 603 वाके ग्राम गीजगढ तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में गील्या दर्ज है जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम गजेन्द्र कुमार सैनी है तथा सही नाम भी यही है। उक्त आराजी भूमि में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से उसे विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड रहा है इसलिए प्रार्थी का सही नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जावे।<br>इत्यादि पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार से सिकराय से प्रकरण में रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार सिकराय से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सिकराय गील्या का शुद्ध नाम गजेन्द्र है तथा शुद्धि किया जाना उचित बताया गया है। प्रार्थी द्वारा पेश अन्य सभी दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।<br>अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम गील्या के स्थान पर गजेन्द्र कुमार सैनी दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।<br>निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>सिकराय जिला दौसा | उपखण्ड अधिकारी एवं ... जिला ... दौसा (राज.) |